ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन्) : (क) से (ग) : आपात काल के दौरान पाताखेड़ा कोयला खान के किसी भी नियमित कामगार को सेवा से हटाया नहीं गया । पाताखेड़ा खान में अन्य खानों को भांति ही अस्थाई कामगारों को विशेष जरूरत होने पर ले लिया जाता है और जरूरत न रहने पर उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, परन्तु पांच नियमित कर्मचारियों की सेवाएं नियमानुसार जांच के दौरान कदाचार के आरोप सिद्ध हो जाने पर समाप्त कर दी गई थीं । चूंकि इनके मामले अनुशासन से सम्बद्ध थे इसलिए इन व्यक्तियों को बहाल नहीं किया गया है ।

अन्तरिक्ष विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

5048. **श्री राम विलास पासवान :** क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी काम कर रहे है; और

(ख) सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 30-6-1977 को स्थिति के अनुसार, अन्तरिक्ष विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह 'क' .	4	—
समूह 'ख'	7	1
समूह 'ग'	193	25
समूह 'घ' .	252	25
जोड़ .	456	51

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण तथा उनकी भर्ती से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया जाता रहेगा ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

5049. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मन्त्रालय में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उक्त जाति के व्यक्तियों का आरक्षित कोटा पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न संगठित सेवाओं, अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय और अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के पद भरती करने वाली एजेंसियों द्वारा भरे जाते हैं और उनके द्वारा अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है ।

इस मन्त्रालय में इक्के दुक्के पदों के बारे में जो उपर्युक्त संगठित सेवाओं से सम्बन्धित नहीं है, यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती जाती है कि आरक्षित पद निर्धारित नियमों के अनुसार भरे जायें।

विवरण

इस मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और राजभाषा विभाग समेत) में विभिन्न श्रेणी के पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	पद नाम	कर्मचारियों की संख्या	
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1	2	3	4
1.	निदेशक . . .	1	—
2.	उप सचिव . . .	1	—
3.	अवर सचिव	2	—
4.	अनुभाग अधिकारी/डैस्क अधिकारी . .	11	2
5.	सहायक	43	3
6.	उच्च श्रेणी लिपिक	23	3
7.	निम्न श्रेणी लिपिक	50	1
8.	आशुलिपिक श्रेणी 'सी' . . .	5	—
9.	आशुलिपिक श्रेणी 'डी' . . .	4	—
10.	अनुसन्धान अधिकारी	1	—
11.	हिन्दी अनुवादक ग्रेड 1 . . .	1	—
12.	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-2	2	—
13.	स्टाफ कार ड्राइवर . .	2	—
14.	डिस्पैच राइडर	3	—
15.	ड्राफ्टसमैन तथा आर्टिस्ट . .	1	—
16.	वरिष्ठ स्वागत अधिकारी	3	1
17.	कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	3	—
18.	चपरासी	47	16
19.	जमादार	—	1
20.	दफ्तरी/सलैक्शन ग्रेड दफ्तरी . . .	5	3

1	2	3	4
21.	रिकार्ड सार्टर	1	—
22.	जूनियर गैस्टेटनर आपरेटर . . .	1	—
23.	फराश	7	3
24.	भंगी	31	—
25.	सूबेदार (सचिवालय) सुरक्षा बल . . .	1	—
26.	जमादार (के० सु० ब०) . . .	2	—
27.	हवलदार (के० सु० ब०) . . .	11	2
28.	सिपाही (के० सु० ब०) . .	101	14
29.	फैलोवर (के० सु० ब०) . . .	1	—
30.	इन्वेस्टीगेटर	—	1

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

5050. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे है; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को भरने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा इलेक्ट्रानिकी आयोग के सूचना आयोजना तथा विश्लेषण दल में विभिन्न वर्ग के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दिये अनुसार है :—

क्रम संख्या	पदों का वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	वर्ग 'क' . . .	—	—
2.	वर्ग 'ख'	3	—
3.	वर्ग 'ग'	27	7
4.	वर्ग 'घ'	27	3